न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
77 / 2024	29.02.2024	25.02.2026

पीठासीन अधिकारी–श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– पुरूषोत्तम आत्मज बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रार्थी)

बनाम

1– बृजमोहन आत्मज मोतीलाल
2– चन्द्रशेखर आत्मज बृजमोहन
3– सावित्रि पुत्री बृजमोहन
4– भगवती पुत्री बृजमोहन
5– कैलाश बाई पत्नी बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासीगण बुढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
6– गोविन्द प्रसाद आत्मज मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बुढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
7– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थीगण)

1– प्रार्थीगण की ओर से– श्री भारत शर्मा एडवोकेट
2– अप्रार्थी कम 1 ता 5 की ओर से –श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है :–

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न० 18 नया 17 पुराना की ख0नं0 520 रकबा 1.05 है0 कुल 1 किता की 1.05 है0 ग्राम बनेढिया की खाता सं0 106 नया 100 पुराना की ख0नं0 499 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0 714 / 501 रकबा 1.23 है0 कुल 2 किता रकबा 2.32 है0, ग्राम बूढादीत की की खाता नं0 72 की खसरा नं0 586 रकबा 1.59 है0 खसरा नं0 944 रकबा 0.79 है० कुल 2 किता रकबा 2.38 है0 ग्राम बढादीत की खाता नं0 209 की ख0नं0 830 रकबा 1.08 है0 कुल 1 किता रकबा 1.08 है0 ग्राम हनोतिया की खाता सं0 190 की ख0नं0 710 रकबा 1.05 है0 कुल 1 किता रकबा 1.05 है0 भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 व 5 की खातेदारी में स्थित चली आ रही है। यह कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी 2 लगायत 4 प्रतिपक्षी न० 1 व 5 के पुत्रान व पुत्री है उपरोक्त

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

आराजीयात प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के पति की पुश्तैनी भूमि है जिस पर मौके पर प्रतिपक्षी नं0 1 व 5 द्वारा पुत्रों को अपने अपने हिस्से की भूमि पर मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि प्रतिपक्षी नं0 5 प्रार्थी की माता द्वारा दिनांक 30.01.2024 को प्रतिपक्षी नं0 2 चन्द्रशेखर के पक्ष में ग्राम बुढादीत तहसील दीगोद के खसरा नं0 520 रकबा 1.05 है0 का दानपत्र आलेखित कराया गया है जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 66 पृष्ठ सं0 124 पर उपपंजीयक सुल्तानपुर द्वारा पंजीबद्व है। जो प्रतिपक्षी नं0 2 के द्वारा प्रतिपक्षी नं0 5 को बहला फसलाकर दानपत्र करवाया है जबकि प्रतिपक्षी नं0 5 मानसिक रूप से असक्षम थी जिसको सोचने समझने की क्षमता नहीं थी जो उक्त आलेखित दानपत्र प्रार्थी के हितों के विपरित अवैधानिक नल एण्ड वाइड प्रभावशून्य घोषित किया जाना आवश्यक है। क्योकि उक्त आराजी में प्रार्थी का बंटवारें के अनुसार 1/2 हिस्सा बनता है। यह कि उपरोक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है लेकिन प्रतिपक्षी नं0 1 व 5 की खातेदारी के कारण प्रार्थी को बेदखल करने के लिए प्रतिपक्षीगण आपसी मिलिभगत से उक्त वर्णित भूमि का बेचान अन्तरण करने पर आमदा है। यह कि उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादी ने प्रतिपक्षी नं0 1 व 5 से तहसील में चलकर अपना नाम भूमि में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिपक्षीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बैचान करने की धमकी दी। एवं खुर्द बुर्द अन्तरण करने पर आमादा है जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि कारण वाद दिनाक 12.02.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण से उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की कहनें तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा इंकार करनें व बेचान करने की धमकि देने पर उत्पन्न हुआ। यह कि प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाक्षा इस आशय की प्रसारित की जायें कि प्रत्यर्थीगण ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 18 नया 17 पुराना की ख0नं0 520 रकबा 1.05 है0 कुल 1 किता की 1.05 है0 ग्राम बनेठिया की खाता सं0 106 नया 100 पुराना की खं0 499 रकबा 1.09 है0. खसरा नं0 714/501 रकबा 1.23 है0 कुल 2 किता की 2.32 है0 ग्राम बुढादीत की की खाता नं0 72 की खसरा नं0 586 रकबा 1.59 है0 ख0नं0 944 रकबा 0.79 है0 कुल 2 किता की 2.38 है0। ग्राम बुढादीत की खाता नं0 209 की ख0न0 830 रकबा 1.08 है0 कुल 1 किता की 1.08 है0 ग्राम हनोतिया की खाता सं0 190 की ख0नं0 710 रकबा 1.05 है0 कुल 1 किता की 1.05 है0 भूमि को रहन, बैचान, खुर्द बुर्द नहीं करें राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावें।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रार्थीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1— नकल जमाबन्दी सम्वत 2075—78 ग्राम बनेठिया
2— नकल जमाबन्दी सम्वत 2075—78 ग्राम बुढादीत
3— नकल जमाबन्दी सम्वत 2073— 2076 ग्राम हनोतिया
4— नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 ग्राम किशनगंज
5— नकल जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 ग्राम बुढादीत
6— नकल फोटोप्रति विक्रय दिनांक 29.03.2022
7— नकल फोटोप्रति विक्रय दिनांक 05.12.2007
8— नकल दान पत्र दिनांक 30.01.2024
9— नकल आवंटन आदेश

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश करने पर प्रार्थी अधि0 की एकतरफा बहस सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 77/2024 दिनांक 29.02.2024 प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की गयी कि ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न० 18 नया 17 पुराना की ख0नं0 520 रकबा 1.05 है0 कुल 1 किता की 1.05 है0 ग्राम बनेठिया की खाता सं0 106 नया 100 पुराना की ख0नं0 499 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0 714/501 रकबा 1.23 है0 कुल 2 किता रकबा 2.32 है0, ग्राम बूढादीत की की खाता नं0 72 की खसरा नं0 586 रकबा 1.59 है0 खसरा नं0 944 रकबा 0.79 है० कुल 2 किता रकबा 2.38 है0 ग्राम बढादीत की खाता नं0 209 की ख0नं0 830 रकबा 1.08 है0 कुल 1 किता रकबा 1.08 है0 ग्राम हनोतिया की खाता सं0 190 की ख0नं0 710 रकबा 1.05 है0 कुल 1 किता रकबा 1.05 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, अन्तरण नहीं करें उक्त कृत्य न तो कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें का स्थगन आदेश जारी किया गया।

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री छीतरलाल गोचर ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया किया गया। अप्रार्थीगण के प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी ने गलत व झूठे तत्यों के आधार पर व सही तथ्यों की छीपा कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज होने योग्य है प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। वाद कारण की प्लीडिंग वाद व प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है इस कारण प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। खसरा नं0 520 की भूमि अप्रार्थी नं0 5 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गयी थी बाद में अप्रार्थी नं0 5 ने उक्त भूमि अप्रार्थी नं0 2 को दान कर दी जो अप्रार्थी नं0 2 के नाम दर्ज चली आ रही है। खसरा संख्या 830 की भूमि अप्रार्थी नं0 1 की आवंटन शुदा भूमि है तथा खसरा नं0 710 की भूमि अप्रार्थी नं0 1 की खरीद शुदा भूमि है। तीनों भूमियां पुश्तैनी भूमि नहीं है इस कारण उक्त

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

भूमियां में प्रार्थी का किसी प्रकार का हक हकूक व अधिकार नहीं बनात है और न प्रार्थी का कब्जा है इस कारण उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार नहीं हो सकता है खसरा संख्या 586 रकबा 1.59 है0 खसरा नं0 944 रकबा 0.79 है0 भूमि में अप्रार्थी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है जो पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा बनता है प्रार्थी चाहे तो वह 1/2 में से 1/5–1/5 यानी 1/10 हिस्सा प्राप्त कर सकता है तथा खसरा नं0 499 रकबा 1.09 है0, खसरा संख्या 714/501 रकबा 1.23 है0 भूमि अप्रार्थी नं0 1 के खाते में दर्ज जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमियों का खातेदार नहीं है और न प्रार्थी का कब्जा काश्त है इस कारण प्रार्थी को वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कराने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारीज होने योग्य है ग्राम बूढादीत के खसरा नं0 586 व 944 रकबा 2.30 है0 भूमि में गोविन्द प्रसाद आ0 मोतीलाल सहखातेदार है उसको वाद में पक्ष नहीं बनाया गया है इस कारण प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी का केस प्राइमा फेसी नहीं है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और न अपरिमित खति होने की संभावना है। प्रार्थी खातेदार नहीं है और न कब्जा है इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के कथनों को दोहराया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिये प्रकरण में निम्न शर्तो की पालना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है ?

उपरोकत निर्धारित शर्तो के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन अध्ययन करने पर हम पाते है कि विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चुंकि विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा भी प्रमाणित नहीं है। अतः कब्जे के अभाव में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। वर्तमान में विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है और इस पर अप्रार्थी कम 1

सहायक कलक्टर
पीपोद, जिला कोटा (राज.)

ही कब्जा है, जिससे विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को ही अपूरणीय क्षति होगी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और इसी कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति भी कारित नहीं हो रही है। प्रतिपक्षी खातेदार कृषक है ओर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है एवं खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः पत्रावली के समस्त राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपना पक्ष रखने व सिद्व करने में विफल रहा है। अतः प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में दिनांक 29.02.2024 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक महावर,RAS)
सहायक कलक्टर
दौसा